कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1578 /एटा–कासगंज मार्ग/21109/2016, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 01/12/2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : एटा–कासगंज मार्ग एवं बरेली–मथुरा मार्ग का लो0नि0वि0 द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु एटा में किमी0 0 से 20 तक 22.80 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 2435 वृक्षों के पातन तथा कासगंज में एटा–कासगंज मार्ग पर किमी0 21 से 24.3 तक तथा बरेली–मथुरा मार्ग किमी0 145 से 161.5 तक 24.088 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 3234 वृक्षों के पातन कुल 46.888 हे0 **संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 5669 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/32/2017/एफसी/587, दि0 14.11.2017,
उ0प्र0शासन का पत्रांक–भा0स0 296/14–2–2017–800(34)/2017, दिनांक 20.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के कार्यालय में दि0 09.11.2017 को क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का संशोधित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्रांक–1812/14–10, दि0 28.11.2017 द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का संशोधित मूल प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः उक्त पत्र दि0 28.11.2017 की छायाप्रति एवं दोनों प्रभागों के प्रमाण–पत्र की एक प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में ऑनलाइन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

01/12

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– /(1) ,उक्त दिनांक

प्रतिलिपि अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्रांक–1812/14–10, दि0 28.11.2017 की छायाप्रति एवं दोनों प्रभागों के मूल प्रमाण–पत्र की एक–एक प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– /(2) ,उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
2– प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, एटा एवं कासगंज।
3– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, एटा एवं कासगंज।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।